राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2/अं.प्र.) विभाग

कमांकः– प. 2(5)कार्मिक/क–2/अं.प्र./89पार्ट जयपुर, दिनांकः 19-04.2008

परिपत्र

विषयः– तथाकथित स्टापगेप, कार्य व्यवस्था आधार पर नियमित वेतन श्रृंखला में पदोन्नति/पदस्थापन नहीं किये जाने बाबत।

1. इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.10.89 द्वारा समस्त नियुक्ति अधिकारियों/विभागाध्यक्षों/शासन सचिवों को स्पष्ट किया गया था कि कार्य व्यवस्था आधार पर उच्च पद पर किसी भी कर्मचारी को पदस्थापित नहीं किया जाए जिसके अन्तर्गत कर्मचारी स्वयं के निचले पद का वेतन प्राप्त करते हुए अन्य उच्च पद के प्रति पदस्थापित किया जाता है।

2. इस संबंध में पुनः समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.6.91 एवं 15.2.03 द्वारा उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना हेतु निवेदन किया गया परन्तु इसके उपरान्त भी कुछ मामले इस विभाग के ध्यान में आये हैं जहां कार्य व्यवस्था के आधार पर पदोन्नतियां करदी गई और मा0 न्यायालयों द्वारा ऐसी नियुक्तियों पर पुनः अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

3. अतः समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों/नियुक्ति अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी स्थिति में कार्य व्यवस्था के आधार पर नियुक्तियाँ नहीं करें, ताकि अनावश्यक रूप से ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालयों द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी की संभावना नहीं रहे। अतः इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाए।

(संजय मल्होत्रा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
2. समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।

(डॉ0 लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित हैः–

1. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर
2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा आयील अधिकरण, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

My com/D/Soni/Notefication -19

13/2008